COURT FEE
भारत INDIA
दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE Rs.10
भारत INDIA

456

श्रीमान् अध्यक्ष राजस्व मण्डल केम्प भोपाल
द्वारा प्रस्तुत
14/8/18

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल

प्रकरण क्रमांक : निगरानी – 5131/2018/विदिशा/भू.रा.

01. वाहिद ख़ॉ आत्मज समी ख़ॉ, वयस्क
02. सईद ख़ॉ आत्मज रमजानी ख़ॉ, वयस्क
03. नईम ख़ॉ पुत्र शरीफ़ ख़ॉ, वयस्क
04. शौक़त ख़ॉ पुत्र सिकन्दर ख़ॉ, वयस्क
05. अयाज़ मोहम्मद पुत्र इश्तियाक मोहम्मद, वयस्क
सर्वनिवासीगण – ग्राम उनारसीताल,
तहसील सिरोंज, ज़िला विदिशा .... **प्रार्थी**

विरुद्ध

इब्राहिम शा पुत्र मुनव्वर शाह, वयस्क
निवासी – उनारसी ताल, तहसील सिरोंज,
जिजा विदिशा .... **प्रतिप्रार्थी**

noted 12/9
14/8

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.06.2018 , जो प्रकरण क्र. 18/अपील/2017–18 में न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील सिरोंज, ज़िला विदिशा द्वारा पारित किया गया।

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

तथ्य

01. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिप्रार्थी ने ग्राम उनारसीताल, तहसील सिरोंज, ज़िला विदिशा स्थित भूमि खसरा क्र. 205 रकबा 0.696 हेक्टेयर भूमि, जो कि राजस्व अभिलेखों में पूर्व में कब्रस्तान के नाम दर्ज़ थी, को ग्राम पंचायत से सांठगांठ कर अपने नाम पर करा ली है। जबकि उक्त भूमि शासकीय है और कब्रस्तान के लिये

2

456

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5131/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री नीरज गुप्ता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-४-१९ को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	